परिशिष्ट 'चौंतीस'

[7/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1906]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

2B / PRC / भोपाल

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **30/11/2016**

विभाग का नाम : **राजस्व**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **07/12/2016**

विषय : **नजूल भूमि की लीज नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : 1906) **श्री बाला बच्चन**

क्या **राजस्व मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर वृत्त भोपाल में नजूल भूमि का लीज नवीनीकरण के संबंध में लंबित प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण के आवेदक, क्षेत्रफल तथा प्रकरण लंबित रहने की अवधि की जानकारी दी जाए ? (ख) जिन प्रकरणों में लीज नवीनीकरण नहीं हो रहा है उनमें कितने भू-भाटक तथा दण्ड राशि की शासन को क्षति हुई है ? (ग) लीज नवीनीकरण में हो रहे विलंब के लिए उत्तदायी अधिकारी का नाम, पद बताया जावे तथा क्या शासन लीज नवीनीकरण नहीं होने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1906

:: उत्तर ::

श्री उमाशंकर गुप्ता मंत्री राजस्व विभाग

(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–अ अनुसार।

(ख) लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के मामले में लीज की शर्तो का उल्लंघन होने से प्रकरण के निराकरण में विलम्ब होता है, किन्तु म0प्र0राजपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2014 के अनुसार विलम्ब पर (दण्ड/शास्ति) ब्याज इत्यादि राशि की गणना कर राशि जमा कराई जाती है। राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण होने से राशि की क्षति का प्रश्न उद्भूत नही होता।

(ग) भू–खण्डधारियों द्वारा लीज की शर्तो का उल्लघंन किये जाने से प्रकरण के निराकरण में विलम्ब होता है। लीज की शर्तो के उल्लघंन होने के लिए लीजधारी स्वंय उत्तरदायी होता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

....

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 1906 की बिन्दुवार जानकारी "परिशिष्ट–अ"

	आवेदक	क्षेत्रफल	आवेदक दिनांक	लंबित रहने का कारण
	श्रीमती अजीता बाजपेयी ई–1/25	8300 वर्गफुट	21.10.2014	प्रकरण में अपर कलेक्टर महोदय द्वारा लीज नवीनीकरण स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें भू–भाटक की राशि जमा की जा चुकी है एवं आवेदिका द्वारा विलंब से लीज नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के मामले में अधिरोपित शास्ति 8,79,358/– रूपये यह कहते हुये जमा नहीं किया जा रहा है कि मेरा नामांतरण प्रकरण में नजूल अधिकारी टी.टी. नगर के न्यायालय में शासन के स्पष्ट निर्देश के अभाव में 2002 से लंबित था जिसका नामांतरण 16.10.2014 को किया गया है। शासन से पत्र कमांक 20 दिनांक 06.01.2016 द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है कि 2002 में लीज नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2002 की गणना के अनुसार ही शमन राशि वसूल की जावे। मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी।
2.	श्री धनश्याम पमनानी ई–3/20	9600 वर्गफुट	13.03.2014	अरेरा कालोनी स्थित भू–खण्ड कमांक ई–3/20 पर मूल पट्टेधारी द्वारा बहुमंजिला प्रकोष्ठ कर विकय किया गया है जिसमें से प्रकोष्ठ कमांक 02 एवं 03 का विकय पत्र लीज समाप्ति के पश्चात् निष्पादित होने के कारण म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2014 के पूर्व इस प्रकार के अंतरण के संबंध में नामांतरण हेतु कोई स्पष्ट निर्देश न होने से नहीं किया गया था। प्रकोष्ठ कमांक 02 एवं 03 का नामांतरण हेतु बसंत कुमार जैन द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, नामांतरण के प्रकरण में म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2014 की कण्डिका 8 (1) एवं 8(2) का उल्लंधन के शमन उपरांत ही नामांतरण एवं लीज नवीनीकरण हो सकेगा। नामांतरण कार्यवाही प्रचलित है।
3	डॉ विजय कुमार महोबे ई–2/334	1350 वर्गफुट	29.10.2015	म0प्र0 शासन राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2014 के अनुसार लीज नवीनीकरण के मामलों में पट्टाधारी के नाम पहले नामांतरण किया जाय तदापरांत नवीनीकरण की कार्यवाही की जाए। आवेदक के नामांतरण प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।
4	भारतीय स्टेट बैंक धरमपुर	0.75 एकड	26.02.2016	आवेदित भू–खण्ड की भूमि राजस्व अभिलेख में बड़े झाड के जंगल मद में दर्ज है "बडे झाड के जंगल" मद में भूमि दर्ज होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण गोधा वर्मन विरूद्व शासन में पारित निर्णय के संबंध में परीक्षण आवश्यक होने से अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पृच्छा दिनांक 14.7.2016 के पालन में पुर्नः प्रतिवेदन भेजा गया है।
5	श्रम जीवी पत्रकार संघ कोटरा सुल्तानाबाद	4.60 एकड	08.07.2016	नवीनीकरण के प्रस्ताव भेजे जा चुके है।
6.	श्रीमती लीला दिवेकर ई–8/160 भरत नगर	1100 वर्गफुट	27.11.2015	आवेदिका द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नियत आवश्यक औपचारिक्ताओं की पूर्ति कर प्रकरण नवीनीकरण हेतु प्रेषित किया गया। आवेदिका को अपर कलेक्टर महोदय की पृच्छा दिनांक 23.09.2016 के संबंध में सूचना पत्र जारी कर आहूत किया। किन्तु उनके द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है, इस कारण प्रकरण लंबित है।
7	अरविन्दों सोसायटी, 40 शिवाजी नगर	30492 वर्गफुट	01.09.2012	आवेदक संस्था को 30492 वर्गफुट भूमि सांस्कृतिक उदेश्य के लिए भूमि भवन निर्माण हेतु लीज में उल्लेखित शर्तो पर दी गई थी। लीज नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर नवीनीकरण प्रकिया के दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन कर पट्टे से अधिक भूमि पर निर्माण किया है। शर्त उल्लंघन के शमन उपरांत ही नवीनीकरण किया जा सकेगा। शर्त उल्लंघन के संबंध में शमन हेतु प्रकरण प्रचलित है।

e

8	दलवीर सिंह राघव प्रधान मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा	27125 वर्गफुट	06.02.2013	आवेदक संस्था को लीज मंदिर एवं मंदिर संबंधी गतिविधियों के निर्माण हेतु प्रदाय की गई थी। किन्तु संस्था द्वारा व्यवसायिक दुकानें एवं कॉलेज बनाकर शर्त उल्लघन होने से शर्त उल्लघन के संबंध में शमन हेतु प्रकरण प्रचलित है।
9.	मध्य रेल्वे हाउसिंह सो. ई–8	11.30एकड	17.09.2014	आवेदक संस्था को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि पट्टे में उल्लेखित शर्तो पर आवंटित की गई है। संस्था सदस्यों द्वारा व्यवसायिक गतिविधिया बगैर अनुमति के किये जाने से शर्त उल्लघन है जिसके शमन उपरांत ही लीज नवीनीकरण हो सकेगा।शर्त उल्लघन के संबध में शमन हेतु प्रकरण प्रचलित है।
10	दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट जवाहर चौक प्लाट नं. 09	37026 वर्गफुट	05.12.2015	दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट को पटटा मंदिर एवं संग्राहलय के उपयोग हेतु दिया गया था, परन्तु आवेदक संस्था द्वारा मुख्यमार्ग पर दुकान बना कर किराये पर संचालित किया जाकर शर्त उल्लंघन किया गया है। शर्त उल्लघन के शमन के उपरात ही लीज नवीनीकरण हो सकेगा। शर्त उल्लंघन के संबंध में शमन हेतु प्रकरण प्रचलित है।
11	कमल रनवीर सिंह 41 न्यू मार्केट	3100 वर्गफुट	31.03.2016	प्रकरण मे आवेदिका के पुत्र द्वारा उक्त प्रकरण में यह लिखते हुये स्थगित रखने की मांग की गई है कि मेरा त्रुटि सुधार का प्रकरण प्रचलित है त्रुटिसुधार होने के पश्चात् ही लीज नवीनीकरण की कार्यवाही की जाए।
12	देवेश जैन 118 से 1 शक्तिनगर	2614 वर्गफुट	04.12.2015	मूल दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित किया गया। आवेदक द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि मेरा फैर फेक्चर हो गया है ठीक होने पर मूल दस्तावेज का अवलोकन कराउगा। प्रकरण मूल दस्तावेज के अवलोकन हेतु लंबित।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना

26/11/16

राजधानी परियोजना
टी. टी. नगर, भोपाल